डाक-व्यय की पूर्व अदायगी
के बिना डाक द्वारा भेजे जाने के
लिए अनुमत. अनुमति-पत्र
क्र. रायपुर-सी.जी.

पंजीयन क्रमांक रायपुर डिवीजन



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 84] रायपुर, शनिवार, दिनांक 5 मई 2001—वैशाख 15, शक 1923

वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकीय तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग
मंत्रालय, डी. के. एस. भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 29 मार्च 2001

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-7 (ए)/वा. कर/पांच/2001.—चूंकि राज्य सरकार को यह समाधान हो गया है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, अतएव छत्तीसगढ़ वाणिज्यिक कर अधिनियम 1994 (क्रमांक 5 सन् 1995) की धारा 17 तथा केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम 1956 (74 सन् 1956) की धारा 8 की उपधारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा इस विभाग की निम्नांकित अधिसूचनाओं में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

निम्न अधिसूचनाओं में :—

1. क्रमांक ए-3-24-एसटी-V (108) 6 अक्टूबर 1994.
2. क्रमांक ए-3-11-86-एसटी-V (74) दिनांक 16-10-1986.
3. क्रमांक ए-3-30-91-एसटी-V (7) दिनांक 15-01-1992.
4. क्रमांक ए-3-14-92-एसटी-V (50) दिनांक 03-06-93.

(1) वर्णित राज्य अपीलीय फोरम के सदस्य, सदस्य सचिव तथा अध्यक्ष की सूची को निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जायेगा :—

1.	भारसाधक मंत्री, वाणिज्यिक एवंउद्योग विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	अध्यक्ष
2.	भारसाधक मंत्री, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग, (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य
3.	अपर मुख्य सचिव/सचिव, वित्त, वाणिज्यिक कर, योजना, आर्थिक एवं सांख्यिकी, तथा 20 सूत्रीय कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य
4.	प्रमुख सचिव/सचिव विधि और विधायी कार्य विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य
5.	प्रमुख सचिव/सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग (छत्तीसगढ़ शासन).	सदस्य सचिव

(2) उपरोक्त संशोधन छत्तीसगढ़ राज्य में लागू होंगे.

Raipur, the 29th March 2001

NOTIFICATION

No. F 10-7 (A)/CT/5/2001.—Whereas the State Government is satisfied that it is necessary to do so in the public interest, now therefore, in exercise of the powers conferred by section-17 of the "Chhattisgarh Vanijiyak Kar Adhiniyam 1994 (No. 5 to 1995)" and sub-section (5) of section 8 of the "Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956)" the State Government hereby makes the following amendment in this departments notification namely :—

AMENDMENT

In following Notifications :—

1. No. A-3-24-ST-V (108) dated, 6 the October 1994.
2. No. A-3-11-86-ST-V (74) dated 16th October 1986.
3. No. A-3-30-91-ST-V (7) dated 15th January 1992.
4. Annexure 1 No. A-3-14-92-ST-V (50) dated, 3rd June 1993.

(1) For the list of member, member secretary, Chairman following list shall the substituted.:—

1.	Minister-in-charge, Commerce and Industries Department (Govt. of Chhattisgarh).	Chairman
2.	Minister-in-Charge, Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Department (Govt. of Chhattisgarh).	Member
3.	Additional Chief Secretary/Secretary, Finance, Commercial Tax, Planning, Economics & Statistics and 20 Point Programme Implementation Deaprtment (Govt. of Chhatisgarh)	Member
4.	Principal Secretary/Secretary, Law and Legislative Department (Govt. of Chhattisgarh).	Member

5. Prinicpal Secretary/Secretary, Commerce and Industries Department (Govt, of Chhattisgarh). — Member Secretary

(2) The avobe mention amendment shall be inforce in the State of Chhattisgarh only.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. आर. मिश्रा, उप-सचिव.

नियंत्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2001.